Print Date:-11/Mar/2026 04:01 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Chitaresh Kumar Mittal
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2026 16:02:07

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26030130009

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
08	हाई टैक शौचालयों का निर्माण		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	8

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	5635800	8801400	0	14437200
	योग	5635800	8801400	0	14437200

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 88,01,400 (Rupees Eighty Eight Lacs One Thousand Four Hundred Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2603:0003

Approval Status : e-Sign letter

संख्या :-377972/ IV(3)/2026–01 (5 घो0) 2023

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 **देहरादूनः दिनांकः ।। मार्च, 2026**

विषय–नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर हाईटेक शौचालय का निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5444/2515/श0वि0नि0/2025, दिनांक 04.02.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा गठित पृथक–पृथक आगणनों की जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत कुल धनराशि रू0 146.69 लाख (रू0 एक करोड़ छियालिस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 88.014 लाख (रू0 अठठासी लाख एक हजार चार सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु वर्णित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**धनराशि**	**अवमुक्त की जानी वाली धनराशि**
1.	जनपद ऊधमसिंह नगर में नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत चैती तिराहे पर 09 शीटर हाईटेक शौचालय का निर्माण।	69.82	41.892
2.	जनपद ऊधमसिंह नगर में नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत चैती मेला ग्राउण्ड पर 09 शीटर हाईटेक शौचालय निर्माण पर 09 शीटर हाईटेक शौचालय का निर्माण।	76.87	46.122
	योगः–	**146.69**	**88.014**

(i) सर्वप्रथम वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक–15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्यक हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा अपने स्तर पर कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा।

(ii) कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(iii) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में ठेकेदार के साथ किये

File No. UD3-1/1.6/12/2026-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 99105)
Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section 3-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 11/03/2026 03:21 pm

जाने वाले Construction Agreetment में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 03 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(iv) Consultant/Architect सेवाओं हेतु वित्त अनुभाग–7 के शासनादेश सं0 96873, दिनांक 07.02.2023 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) कार्य स्थल पर एक बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर स्वीकृत कार्य का नाम, स्वीकृति कार्य का वर्ष, कार्य की स्वीकृत लागत, कार्य प्रारम्भ करने तिथि, कार्य पूर्ण करने की तिथि, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम इत्यादि का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(vi) योजना की गुणवत्ता एवं मितव्ययता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए।

(vii) कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय–समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य की समाप्ति के फोटोग्राफ कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे।

(viii) स्वीकृती जा रही उक्त धनराशि आहरित कर योजनान्तर्गत संबधित नगर निकाय को आधुनिक शौचालय के निर्माण हेतु ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ix) आधुनिक शौचालय हेतु नियमानुसार निर्धारित यूजर चार्जेज को लागू करते हुए, शौचालय के संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था कार्यदायी संस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(x) आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य उनके संचालन एवं रख–रखाव के संबंध में निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xi) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(xii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(xiii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

(xiv) शौचालय निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथा आवश्यकता जिला स्तरीय स्थल चयन समिति की संस्तुति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xvi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

(xvii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(xviii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 तथा शासनादेश संख्या–I/287506/ई–79713/09(150)–2019 /XXVII(1) /2025, दिनांक–31.03.2025 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(xix) निर्माण कार्य विलम्ब से कराने से निर्माण कार्य की दरों में वृद्धि होने की स्थिति में बढ़ी हुई धनराशि का वहन संबंधित निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(xx) प्रस्तावित कार्य के निर्माण से पूर्व भूवैज्ञानिक तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(xxi) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय अर्थात Parking of Fund नहीं किया जायेगा।

(xxii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 तथा

File No. UD3-1/1.6/12/2026-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 99105)
Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section 3-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 11/03/2026 03:21 pm

मितव्ययता के सबंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xxiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध मे यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नही की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xxiv) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E–79713/09(150)–2019/XXVII(1)/2025, दिनांक–31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0408–हाईटेक शौचालयों का निर्माण मद–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/377502/2026, दिनांक 10.03.2026 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

4– स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत विशिष्ट आवंटन संख्या.....दिनांक मार्च, 2026 से आंवटित की जा रही है।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 11-03-2026
15:12:44

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या–377972(1)/IV(3)/2026–01 (5 घो0) 2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
9. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक, शहरी विकास, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. UD3-1/1.6/12/2026-IV-3-Urban Development Department (Computer No. 99105)
Generated from eOffice by SURAJ GUSAIN, RO-Urban Development Section 3-SG, REVIEW OFFICER, Urban Development Department on 11/03/2026 03:21 pm